''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 नवम्बर 2006—कार्तिक 24, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 24, 1928)

क्रमांक-12368/वि. स./स. सु., दूरभाष/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों को दूरभाष सुविधा नियम, 1986 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों को दूरभाष सुविधा नियम, 1986 में निम्नानुसार संशोधन किया जाय, अर्थात् :—

उक्त नियमों में नियम 6 के उपनियम (क) में शब्द एवं अंक ''सत्र समय में प्रतिदिन 15 स्थानीय काल्स'' के स्थान पर ''सत्र समय में प्रतिदिन 20 (बीस) स्थानीय काल्स'' तथा ''अंत: सत्र कालीन समय में प्रतिदिन 7 नि:शुल्क स्थानीय काल'' के स्थान पर ''अंत: सत्र कालीन समय में प्रतिदिन 10 (दस) नि:शुल्क स्थानीय काल'' किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र वर्मा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.